



डिक्री व मुकदमा में इबतदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी) प्रमाणित

अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना

वजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 284/2017

दायर दिनांक 06.10.2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गोस्वामिसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी डाबडा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. तहसीलदार, डीडवाना 2. भंवरसिंह पुत्र रघुनाथसिंह 3. राजेन्द्रसिंह पुत्र रघुनाथसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी डाबडा तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान

दावा बाबत रिकॉर्ड दुरस्ती,
अन्तर्गत धारा- 136 R.L.Act.

दिनांक 07.03.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री अजीतसिंह, वकील, वादी की ओर से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर शरहद डाबडा के खेत खसरा संख्या 14 रकवा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 598/14 रकवा 07 बीघा, खसरा संख्या 632/14 रकवा 07 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 601/14 रकवा 15 बिस्वा, व खसरा संख्या 599/15 रकवा 16 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के पिता का नाम रुघसिंह के स्थान पर रघुनाथसिंह दुरुस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज.....-..... मुवलिंग.....-..... वाबत.....-.....

.....खर्चा इस मुकदमा में के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसवत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 07.03.2018 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			वाबत इजराय		
वाबत इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

प्रमाणित

२

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

7/3/18

वकील लक्ष्मी उपा

वकील गौरधन सिंह का रूप पत्र पत्रावली में
 पेश है जिसमें वकील लक्ष्मी उपा के अलावा
 वकील लक्ष्मी उपा के अलावा निम्नलिखित हैं
 वकील लक्ष्मी उपा 2 व 3 के मध्य फाइनल
 आदेश है, निर्बंध परिचय पत्र, सत्यम गुरु
 पंचायत डाकघर व कार्यालय के दस्तावेज में
 वकील लक्ष्मी उपा 2 व 3 के पिता का
 नाम रघुनाथ सिंह दर्ज है। पत्रावली में वकील लक्ष्मी उपा
 में वकील लक्ष्मी उपा 2 व 3 के पिता का नाम
 रघुनाथ सिंह दर्ज है।

अतः वकील गौरधन सिंह के लक्ष्मी उपा के
 खासतः सं 14, लक्ष्मी उपा सं 02 भवन सिंह के लक्ष्मी उपा
 के खासतः सं 598/14 व लक्ष्मी उपा सं 323/14
 सिंह के लक्ष्मी उपा के खासतः सं 632/14 व
 खासतः सं 601/14 व 599/15 का
 सत्यम डाकघर में वकील लक्ष्मी उपा 2 व
 3 के पिता का नाम रघुनाथ सिंह के खासतः पर
 रघुनाथ सिंह द्वारा लिखा गया है। पिता का
 नाम लक्ष्मी उपा में लक्ष्मी उपा के लक्ष्मी उपा
 दर्ज है।

जे

सहायक कलेक्टर
 बीडवाना (नागौर)